

//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये है। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक / व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	लखनऊ	स्व0 श्री अमर प्रताप सिंह	सर्वश्री टी0 डी0 मार्ट, लखनऊ	16-11-2025	21-01-2026	श्री दिवाकर सिंह, पिता	10.00 लाख
2	लखनऊ	स्व0 श्री अभय कुमार पाण्डेय	सर्वश्री अन्वेषण इण्टरप्राइजेज, लखनऊ	27-09-2025	01-01-2026	श्री प्रदीप कुमार, पिता	10.00 लाख
3	मुरादाबाद	स्व0 श्री अफसर अहमद	सर्वश्री ए0आर0सी0 रोड, अमरोहा	10-12-2025	03-01-2025	श्रीमती काश्मा बेगम, पत्नी	10.00 लाख
4	झाँसी	स्व0 श्री राकेश कुमार गुप्ता	सर्वश्री मोहन लाल सोहन लाल, जालौन	21-11-2025	16-01-2026	श्रीमती अंशू गुप्ता, पत्नी	10.00 लाख
5	गजियाबाद	स्व0 श्री सचिन कुमार	सर्वश्री अक्षी एण्टरप्राइजेज, गजियाबाद	05-10-2023	12-01-2026	श्रीमती गुजन त्यागी, पत्नी	10.00 लाख
6	प्रयागराज	स्व0 श्री राजीव कुमार मिश्रा	सर्वश्री साकेत बीज भण्डार, प्रतापगढ़	31-10-2023	01-08-2024	श्रीमती बीना मिश्रा, पत्नी	10.00 लाख

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, लखनऊ-द्वितीय, मुरादाबाद, झाँसी, गाजियाबाद-प्रथम एवं प्रयागराज को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, लखनऊ-सी, मुरादाबाद-ए, झाँसी, गाजियाबाद-बी एवं प्रयागराज-ए को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।